| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्याः 17 / 2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.11.2023 | पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल खलील खां पुत्र इब्राहिम खां, जाति–मुसलमान, निवासी– भीलवास, आबूरोड़, हाल– लुणियापुरा, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री अल्तमस शेख उपस्थित हुये। गैरसालय को आरोप पढ़कर सुनाये गये। गैरसायल ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर उस पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए प्रस्तुत इस्तगासे को खारिज किये जाने का अनुरोध किया। बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत इस्तागसा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा आम लोगों जुआं खेलने के प्रेरित कर जुआं खेलाता है। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर में 2 मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में गैरसायल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये। संबंधित न्यायालय द्वारा इन दोनों मुकदमों में पारित निर्णय / आदेश के द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया है। गैरसायल के जुआं खेलने व खेलानें से आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैरसायल के विरुद्ध लोगों सूचना देते से कतराते है। अतः गैरसायल को जिलें से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दोरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल को पुलिस द्वारा धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के उक्त दोनों मुकदमों में झूठा फंसाया गया है। गैरसायल ने ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध कोई गंभीर प्रकृति के मुकदमें दर्ज नही है। गैरसायल ने कभी शांति भंग नही की है व न ही गैरसायल से आमजन में कोई भय व्याप्त है। गैरसायल वर्तमान में शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल मजदूरी करके भरण पोषण करता है, इसलिये रहम नजर रखकर गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे।<br>हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल खलील खां पुत्र इब्राहिम खां, जाति– मुसलमान, निवासी– भीलवास, आबूरोड, हाल– लुणियापुरा, आबूरोड़ के विरुद्ध पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 74 दिनांक 21.3.2023 व 108 दिनांक 24.4.2023 को दर्ज हुये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / आदेश दिनांक क्रमशः 06.4.2023 व 20.5.2023 के द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए [illegible] दण्डित किया गया है। पत्रावली पर उक्त अपराध संख्या 74 दिनांक 21.3.2023 व 108 दिनांक 24.4.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट व [illegible] मुकदमों में गैरसायल के ....[illegible]र | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला परिरक्षक
सिरोही–307001.

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>गुण्डा एक्ट मुकदमा संख्याः 17/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विरुद्ध संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां व संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक क्रमशः 06.4.2023 व 20.5.2023 की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलबध है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी पाया गया है, परन्तु गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 20.5.2023 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है एवं न ही ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलबध है।<br><br>पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायल से आमजन में कोई भय व्याप्त है। गैरसायल के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने, बलवा करने, आम जन को धमकी देने, महिलाओं व लडकीयों से छेडछाड या अशिष्ट टिप्पणी करने, हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभिजासित करने, आम जन की सम्पति को संत्रास, खतरा या नुकसान करने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में, गैरसायल को गुण्ड़ा घोषित किया जाना व निष्कासित किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।<br><br>**आदेश**<br><br>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।<br><br>निर्णय आज दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।<br><br>(डॉ. भास्कर बिश्नोई)<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>सिरोही<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Bhaskar Bishnoi<br>Date: 2024.01.30 17:15:04 IST<br>Reason: SelfAttested | |